न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 131/2013

वादीगण :-

1. मोहनलाल पुत्र घेवर
   जाति-माली, निवासी-बलून्दा ,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. कानाराम पुत्र पाबू
2. लाबू पुत्र पाबू
3. तेजा पुत्र मंगा
4. रतनलाल पुत्र मंगा
5. सुखाराम पुत्र जयराम
   जाति-माली, निवासी-बलून्दा
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 09/05/2013

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 12/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण व अन्य काष्तकारान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तेनी संयुक्त भूमि खसरा नम्बर 1218 रकबा 4-13 बीघा बिस्वा किस्म चाही प्रथम की आई हुई है उक्त भूमि के अलावा अन्य खसरा की भूमि भी शामलता आई हैं। उक्त खसरा नम्बर 1218 डामर सडक के पास बलून्दा से कानावास जाने वाली रोड पर आई हुई हैं। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा हैं। खसरा नम्बर 1218 वादी के हिस्से की भूमि खाली पडी हैं। प्रतिवादीगण की हिस्से की भूमि पर मकान बने हैं व और कुछ जमीन खानी पडी हैं। खाता संख्या 102 की कुल भूमि 165 बीघा 13 बिस्वा आई हुई जिसमे खसरा नम्बर 1218 भी शामिल है उक्त सम्पूर्ण भूमि का राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा किया हुआ नहीं है। मौके पर अपने अपने हिस्से माफिक काबिज हैं। खसरा खसरा नम्बर 1218 रोड के पास होने से कीमती होने से प्रतिवादीगण किसी अजनवी व्यक्तियों को बैचान, रहन, वसीयत, बख्शीश प्लोट बनाकर बेचना चाहते हैं। जबकि प्रतिवादीगण को बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी सरकारी नौकर मे होन से बाहर रहता हैं। प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती वादी के हिस्से की भूमि रास्ता निकालना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा होने से जबरदस्ती वादी के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1218 पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। खसरा नम्बर 1218 के अलावा काना व लाबू ने पूर्व में 20 बीघा जमीन का बैंचान कर दिया। जबकि रेकड में बंटवाडा किया हुआ नहीं है उक्त भूमि कृशि की होते हुऐ भी बिना आबादी में रूपान्तरण करवाये मकान बना रहे है। उक्त भूमि खसरा 1218 आबादी के पास होने से व किमती होने से बिना किष्म परिवर्तन करवाये ही प्लोट बनाकर बेच रहे व पक्के निर्माण कर रहे। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बैचान करने से रोका जाना जरूरी हैं। अन्यथा मौके पर लडाई झगडा होगा। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि को प्रतिवादीगण बिना आबादी में परिवर्तन करवाये ही बैचान कर देगे एवं बंटवाडा करवाये बिना बैचान कर देगें, तो वादी अपने जायज अधिकारो से वंचित हो जायेगा एवं विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी, जिसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, वादी जैरबार हो जायेगा। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है कि खसरा नम्बर 1218 का बैचान बख्शीश रहन नहीं करे एवं कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करे हमेशा के वास्ते रोका जावें। बिनायदावा दिनांक 01/05/2013 को जब प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हिस्से की जमीन मे नीम के वृक्ष को काटने एवं जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी देने उक्त भूमि को बैचान करने एवं उक्त भूमि पर कच्चा या पक्का निर्माण करने की धमकी देने पर बमुकाम-बलून्दा में पैदा हुआ जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में हैं। वकील वादी ने माफिक वादपत्र दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की।

इस पर वादी का वाद दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वकील देवाराम ने प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग लिया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा में पेश हुई। राजस्व शिविर में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 उपस्थित आए। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बलुन्दा के खाता संख्या 117 खसरा नं. 1214 रकबा 44-08 तथा खाता सं. 119 खसरा नं. 1199, 1207, 1209, 1210, 1216, 1217, 1218 कुल खसरा 7 कुल रकबा 166-13 बीघा में मोहन पुत्र घेंवर कौम माली का नाम सहखातेदारान के साथ दर्ज था। उक्त खसरान नं. में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि मोहन पुत्र घेंवर माली ने दिनांक 30.05.2013 को पु.सं. 01 जि.सं. 189 में पृ. सं. 100 क.सं. 2013004140 के अपने सगे भाई रामलाल पुत्र घेंवर कौम माली के पक्ष में बख्शीस कर दिया हैं।रजिस्टर्ड बख्शीसनामा के आधार पर जरिये नामा. सं. 3939 के उक्त भूमि रामलाल पुत्र घेंवर माली के नाम दर्ज हो गई हैं। वर्तमान में उक्त दोनो खातों की भूमि में मोहन पुत्र घेंवर का नाम दर्ज नही हैं। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता सें अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी का वाद सारहीन एवं विवादित आराजी का स्वंय द्वारा बख्शीस करने से वाद खरिज किया जाना उचित समझतें हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद माफिक राजस्व रेकर्ड एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

इन अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0** वादी :–

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. मोहनलाल पुत्र घेवर जाति–माली, निवासी–बलून्दा , तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)		1. कानाराम पुत्र पाबू 2. लाबू पुत्र पाबू 3. तेजा पुत्र मंगा 4. रतनलाल पुत्र मंगा 5. सुखाराम पुत्र जयराम जाति–माली, निवासी–बलून्दा तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 :रा0वा0स0:131/2013

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद माफिक राजस्व रेकर्ड एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....–....मुबलिक.....–....बाबत.....–....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ...–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/06/2015 को दस्तखती किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	02	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	–		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	06	00	मिजानः–	01	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner